उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या– 2747 /5–9–06–9(285)/04टी0सी0–1
लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

जिला स्वास्थ्य मिशन के गठन विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–2529(1)/5–9–05–9(285)/04टी0सी0 दिनांक 06.09.05 को अवक्रमित करते हुये प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी, गुणवत्ता परक तथा विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये श्री राज्यपाल महोदय जिला स्वास्थ्य मिशन का गठन निम्नवत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जिला स्वास्थ्य मिशन

अध्यक्ष – जिले के मा0 प्रभारी मंत्री।
संयोजक – जिलाधिकारी

सदस्य – जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्रीय मा0 सांसद एवं विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि
– स्वास्थ्य के जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी
– जिला परिषद का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
– जिला पंचायती राज अधिकारी
– महिला एवं बाल विकास का जिला कार्यक्रम अधिकारी
– बेसिक शिक्षा अधिकारी
– जिला विद्यालय निरीक्षक
– जिला महिला एवं पुरूष चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
– मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, गैर सरकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ (जिला स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष द्वारा नामित)
– स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि (जिला स्वास्थ्य मिशन अध्यक्ष द्वारा नामित)।

विशेष आमंत्री – मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, मा0 सांसद मा0 विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि
जनपदीय यूनीसेफ के प्रतिनिधि/डब्लू0एच0ओ0/अन्य विकासशील सहयोगियों के प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामित।

सदस्य सचिव – मुख्य चिकित्सा अधिकारी

बैठक का अन्तराल :– जिला स्वास्थ्य मिशन की बैठक प्रत्येक 3 माह पर आयोजित की जायेगी।

कर्तव्य एवं दायित्व :-

-जिला एवं ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विषयक समस्याओं को चिन्हित कर राज्य स्वास्थ्य मिशन के निर्णय हेतु सन्दर्भित करना।
-जनपद एवं ग्राम की वार्षिक योजना का अनुमोदन।
कार्यकम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति समीक्षा, अन्तर्विभागीय समन्वय आदि।

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव

संख्या-2757(1)/5-9-06 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, संबंधित मा0 मंत्रिगण, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5- अन्य सभी संबंधित सदस्यगण।
6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
8- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10- गार्ड फाइल।

15/11/06

आज्ञा से,

(अरूण कुमार मिश्र)
प्रमुख सचिव